सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भा रा रा प्रा NHAI

भाराराप्रा/नीति दिशा-निर्देश/ विविध दिशानिर्देश /2026
नीति परिपत्र संख्या 18.114/2026 दिनांक 10th फरवरी, 2026
{ई-ऑफिस फ़ाइल संख्या MHDIV/24/2025-PIU-Nashik (कंप्यूटर संख्या 277198 पर लिया गया निर्णय}

NHAI/Policy Guidelines/Miscellaneous Guidelines/2026
Policy Circular No. 18.114/2026 dated 10th February, 2026
{Decision taken on E-Office File No. MHDIV/24/2025-PIU-Nashik (Comp. No.277198)}

विषय: **रियायत अवधि/दोष दायित्व अवधि पूर्ण होने पर बीओटी/एचएएम/ओएमटी/टीओटी/ईपीसी मोड के अंतर्गत पूर्ण परियोजना राजमार्गों के अधिग्रहण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में।**

Sub: Modifications in Standard Operating Procedure (SOP) for taking over the Project Highways completed under BOT/HAM/OMT/TOT/EPC Mode upon completion of Concession Period/DLPs - reg.

भाराराप्रा नीति परिपत्र सं. 18.103/2025 दिनांक 05.04.2025 के पैरा 2.1 तथा नीति परिपत्र सं. 18.83/2022 दिनांक 01.10.2022 के पैरा 2.2 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित प्रावधान लागू होंगे:

In supersession of Para 2.1 of NHAI Policy Circular No. 18.103/2025 dated 05.04.2025 and Para 2.2 of NHAI Policy Circular No. 18.83/2022 dated 01.10.2022, the provisions of Para 2.1 and Para 2.2 shall stand modified as detailed below:

क्र.सं. /S.No.	**वर्तमान पैरा /Existing Para**	**संशोधित पैरा /Modified Para**
1	**एनएचएआई नीति परिपत्र संख्या 18.103/2025 दिनांक 05.04.2025 का पैरा 2.1** 2.1 परियोजना राजमार्ग के अधिग्रहण के समय स्वतंत्र अभियंता/प्राधिकरण अभियंता द्वारा परियोजना परिसंपत्तियों, अभिलेखों, निर्मित आरेखों, लागू परमिटों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के अतिरिक्त, एक टीम परियोजना राजमार्ग का निरीक्षण करेगी और संभावित अधिग्रहण तिथि से कम से कम 6 महीने पहले संबंधित सदस्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस टीम में	

Contd...2/-

	एसआरडी एवं क्यू प्रभाग के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए सूचीबद्ध सदस्यों में से संबंधित सदस्य द्वारा चयनित एक टीम लीडर; मुख्यालय में तकनीकी विभाग के महाप्रबंधक (तक.)/उप महाप्रबंधक(तक.); संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक(तक.)/उप महाप्रबंधक(तक.); और परियोजना के लिए आईई/एई के रूप में कार्य करने वाली परामर्शी फर्म के तकनीकी निदेशक शामिल होंगे। **Para 2.1 of NHAI Policy Circular No. 18.103/2025 dated 05.04.2025** 2.1 In addition to verification of the Project Assets, Records, 'as built' Drawings, Applicable Permits and other Documents by the Independent Engineer/ Authority Engineer at the time of taking over of the Project Highway, a Team shall inspect the Project Highway and submit a Report to Member concerned atleast 6 months prior to the likely taking over date. The Team shall comprise of a Team Leader selected by Member concerned out of the empanelled list for Quality Inspections of SRD&Q Division; GM(T)/ DGM(T) of Tech. Division at HQ; GM(T)/ DGM(T) of concerned RO; Technical Director of Consultancy Firm acting as IE/ AE for the Project.	 2.1 परियोजना राजमार्ग के अधिग्रहण के समय स्वतंत्र अभियंता/प्राधिकरण अभियंता द्वारा परियोजना परिसंपत्तियों, अभिलेखों, निर्मित आरेखों, लागू परमिटों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के अतिरिक्त, एक टीम परियोजना राजमार्ग का निरीक्षण करेगी और संभावित अधिग्रहण तिथि से कम से कम 6 महीने पहले संबंधित सदस्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। **2.1.1 ईपीसी परियोजनाओं के लिए, टीम में एसआरडी एंड क्यू प्रभाग के गुणवत्ता निरीक्षण के लिए पैनलबद्ध सूची में से संबंधित सदस्य द्वारा चयनित एक टीम लीडर; मुख्यालय में तकनीकी विभाग के महाप्रबंधक(तक.) /उप महाप्रबंधक(तक.); वित्त प्रभाग द्वारा जारी सूची में से एक वित्तीय परामर्शदाता ; एक सलाहकार (तक.), संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक(तक.) /उप महाप्रबंधक(तक.);और परियोजना के लिए आईई के रूप में कार्य करने वाली परामर्शी फर्म के तकनीकी निदेशक शामिल होंगे।** 2.1 In addition to verification of the Project Assets, Records, 'as built' Drawings, Applicable Permits and other Documents by the Independent Engineer/ Authority Engineer at the time

Contd...3/-

		of taking over of the Project Highway, a Team shall inspect the Project Highway and submit a Report to Member concerned atleast 6 months prior to the likely taking over date. **2.1.1 For EPC Projects, the team shall comprise of a Team Leader selected by Member concerned out of the empanelled list for Quality Inspections of SRD&Q Division; GM(T)/ DGM(T) of Tech. Division at HQ; GM(T)/ DGM(T) of concerned RO; Technical Director of Consultancy Firm acting as AE for the project. 2.1.2 For BOT(Toll & Annuity), HAM, OMT, ToT & InvIT Projects, the team shall comprise of a Team Leader selected by Member concerned out of the empanelled list for Quality Inspections of SRD&Q Division; GM(T)/ DGM(T) of Tech. Division at HQ; One Financial Consultant from the list circulated by Finance Division, One Advisor (T), GM(T)/ DGM(T) of concerned RO; Technical Director of Consultancy Firm acting as IE for the project.**

Contd...4/-

2	**एनएचएआई नीति परिपत्र संख्या 18.83/2022 दिनांक 01.10.2022 का पैरा 2.2** 2.2 उपर्युक्त टीम विभिन्न परीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन करेगी, जिनमें एफडब्ल्यूडी/एनएसवी परीक्षण रिपोर्ट, विनिवेश आवश्यकताओं पर आईई/एई की रिपोर्ट, सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि शामिल हैं, और परियोजना राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना राजमार्ग के सभी कार्य अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण हो गए हैं तथा सभी दोषों और कमियों से मुक्त हैं और संबंधित सदस्य को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें परियोजना राजमार्ग के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों के साथ-साथ फुटपाथ, संरचनाओं, सड़क साज-सामान और अन्य परियोजना परिसंपत्तियों की स्थिति को विधिवत रूप से इंगित किया जाएगा। **Para 2.2 of NHAI Policy Circular No. 18.83/2022 dated 01.10.2022** 2.2 The above team shall study various test reports including FWD/NSV test reports, reports of IE/ AE on divestment requirements, safety audit reports, etc. and carryout a detailed Inspection of the Project Highway to ensure completion of all works of the Project Highway as per provisions of Contract free from all defects & deficiencies and will submit a comprehensive report to Member concerned duly pointing out the condition of Pavement, Structures, Road Furniture and other Project Assets along with the defects & deficiencies found out during such Inspection of the Project Highway.	2.2 उपर्युक्त टीम विभिन्न परीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन करेगी, जिनमें एफ़डबल्यूडी/एनएसवी परीक्षण रिपोर्ट, विनिवेश आवश्यकताओं पर आईई/एई की रिपोर्ट, सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि शामिल हैं। साथ ही, परियोजना राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना राजमार्ग के सभी कार्य संविदा के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण हो गए हैं और सभी दोषों एवं कमियों से मुक्त हैं। यह टीम संबंधित सदस्य को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें परियोजना राजमार्ग के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों एवं कमियों के साथ-साथ सड़क निर्माण, संरचनाओं, सड़क फर्नीचर और अन्य परियोजना परिसंपत्तियों की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होगा। **बीओटी/एचएएम परियोजनाओं के मामले में, उपर्युक्त टीम विनिवेश आवश्यकताओं के संदर्भ में सभी वित्त संबंधी दस्तावेजों, वार्षिक लेखापरीक्षित खातों/विवरणों और संबंधित अभिलेखों की भी जांच करेगी।** 2.2 The above team shall study various test reports including FWD/NSV test reports, reports of IE/ AE on divestment requirements, safety audit reports, etc. and carryout a detailed Inspection of the Project

Contd...5/-

		Highway to ensure completion of all works of the Project Highway as per provisions of Contract free from all defects & deficiencies and will submit a comprehensive report to Member concerned duly pointing out the condition of Pavement, Structures, Road Furniture and other Project Assets along with the defects & deficiencies found out during such Inspection of the Project Highway. **In the case of BOT/HAM projects, the aforesaid team shall also examine all financing documents, annual audited accounts/statements and related records in the context of divestment requirements**

Contd...6/-

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

10/02/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय)/ I/c Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the circular on library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRTH for Kind Information